न्यायालय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय– 1 , कटिहार

C-I Case no. -1227/2017

सरकार

वनाम्

मो0 तारीक

<u>20-06-2026</u>: एकमात्र अभियुक्त मो0 तारीक हाजरी देकर न्यायालय में उपस्थित हैं। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मो0 तारीक का दोष स्वीकारोक्ति आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजन को प्राप्त कराया गया है।

उक्त वाद में वाद की नियत तिथि दिनांक 15.07.2026 है। वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वाद के नियत तिथि 15.07.2026 को रिकॉल करते हुए आज की तिथि 20.06.2026 को सुनवाई करने हेतु प्रार्थना करते हैं। तद्नुसार वाद की नियत तिथि 15.07.2026 को रिकॉल करते हुए आज की तिथि 20.06.2026 को नियत किया जाता है। दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को संचालित करते हुए बचाव पक्ष का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त मो0 तारीक अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को स्वीकार किया जाय।

दोष स्वीकारोक्ति आवेदन पर उभय पक्षकारों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 22.01.2021 को अभियुक्त मो0 तारीक के विरूद्ध मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b) सह पठित धारा 13 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया था। आज अभियुक्त मो0 तारीक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना दोष स्वीकार करते हैं। अतः अभियुक्त मो0 तारीक के द्वारा दाखिल दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को मो0 2000/–(दो हजार रूपये) जूर्माना पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जूर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिनों का साधारण कारावास होगा। जूर्माने की राशि नजारत, व्यवहार न्यायालय, कटिहार में जमा होगा।

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश–प्रथम

बाद में

<u>20-06-2026</u> *: उपर्युक्त आदेशानुसार अभियुक्त* मो0 तारीक *की ओर से मो0 2000/–(दो हजार रूपये) जूर्माने की राशि को नजारत रसीद संख्या 0234289 दिनांक 20.06.2026 के माध्यम दाखिल किया गया।*

तदनुसार अभियुक्त मो0 तारीक *को छोड़ा जाता है। अभियुक्त मो0 तारीक के जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्यों के उन्मुक्त किया जाता है। वाद को निस्पादित किया जाता है। कार्यालय, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।*

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश–प्रथम

web copy